तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवीलाल बनाम गंगाजल आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 30/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज़ पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही आदेश दिए गए है। बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि रोही ग्राम चक 272 आरडी पटवार हल्का उदाना के मु0नं029/53 के कि0नं0 15 ता 18, 22 ता 25 तादादी 2.0232 हैक्टेयर कमांड कब्जे एवं दखल में स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में आवासीय ढाणी बनाई हुई है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित रहवास कर उपरोक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालण पोषण कर रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि मु0नं0 29/53 के उत्तर दिशा मे स्थित मु0नं0 29/52 के कि0न0 21 ता 25 मे गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है उक्त स्वीकृत रास्ते से प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि मु0नं0 29/53 के कि0नं0 5,6 की पूर्व दिशा की सींव से उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित अपनी खातेदारी भूमि मु0नं0 29/53 के कि0नं0 15 में प्रवेश करे अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का उपरोक्त रास्ता नजदीक एवं सुविधा जनक है इसके अलावा अन्य कोई सुविधा जनक रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त रास्ते का कई वर्षो से उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थी एवं प्रार्थी के मध्य मन मुटाव होने पर अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देता रहता है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु पशुधन व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता लेने का सवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी ने दिनांक 20.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे से जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने कहा की मैं रास्ता स्वीकृत नहीं करवाउंगा आपको जो कार्यवाही करनी है करलो अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी दी तब प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार पैदा हुआ जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने हेतु करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि मे रास्ता लेने का हकदार है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के पास उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि मु0नं0 29/53 के कि0नं0 5,6 की पूर्व दिशा की सीव से उत्तर से दक्षिण दिशा की और चलने वाला रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 272 आरडी के मु0नं0 29/53 के कि0नं0 5,6 मे से चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई मे जितनी स्वीकृत रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मु0नं0 29/53 के कि0नं0 15 तक हो उतनी लम्बाई का रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा मे स्वीकृत करवाना चाहता है प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 272 आरडी के मु0नं0 29/53 के कि0नं0 5 व 6 मे से चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई का रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृत करने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करे। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। रिपोर्ट में प्रार्थी की भूमि मे किला नम्बर 15 मे प्रवेश के लिए किला नम्बर 5,6 के पूर्वी दिशा में 2–2 कटान रास्ते के नजदीक एवं उपयुक्त की रिपोर्ट की गई हैं। उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी चक 272 आरडी संवत् 2075–78 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के सम्बन्ध में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि मु0नं0 29/53 के कि0नं0 5 व 6 मे से चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई का रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता निकटतम हैं अतः प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर